

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 02/2023

प्रार्थी/परिवादी

बनाम

अप्रार्थी/गैरसायल-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

1.ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी डेगाणा ,नागोर हाल निवासी सिणधरी मैसर्स महादेव आईस्कीम सिणधरी जिला बालोतरा

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 उपस्थिति :-

01. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी डेगाणा ,नागोर हाल निवासी सिणधरी मैसर्स महादेव आईस्कीम सिणधरी जिला बालोतरा

—:आदेश:—

दिनांक:- 31.07.2024


1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म **मैसर्स महादेव आईस्कीम फ़ैक्ट्री सिणधरी जिला बालोतरा** पर निरीक्षण दिनांक **21.04.2022** के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **कुल्फी मारवाडी (दुध शक्कर,मावा चाकलेट ,कलर से निर्मित) एक फ़ीज में भरी हुई थी** मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **कुल 40 एम.एल.** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-1644** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **कुल्फी मारवाडी (दुध शक्कर,मावा चाकलेट ,कलर से निर्मित) एक फ़ीज में भरी हुई थी उसमें से 26 पीस (40 एम.एल.) कुल 1040 एम.एल** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **कुल्फी मारवाडी (दुध शक्कर,मावा चाकलेट,कलर से निर्मित) उसमें से 26 पीस (40एम.एल.) कुल 1040 एम.एल** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./1035/Act/2022/1035** दिनांक **17.05.2022** में उक्त नमूना (Sub Standard) पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 01 फर्म मालिक** स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।
3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थी** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति मम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./1035/Act/2022/1035 दिनांक 17.05.2022 में उक्त नमूना (Sub Standard)** का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत हाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से **अप्रार्थी संख्या 01** दौरान सुनवाई स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी** की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट पैकिंग फूड खरीदने की वजह से हुई है। **अप्रार्थी** द्वारा उक्त नमूना (**Sub Standard**) का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना (**Sub Standard**) का पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थी** के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत **अप्रार्थी** के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रुपये 5000/- अक्षरे पांच हजार रूपय** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश दिनांक **31.07.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा